न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 31/18 तारीख रजू:– 06.03.2018

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. जगन पुत्र धूडया जाति बैरवा निवासी जौल तहसील टोडाभीम।

वादी

बनाम

1. फाबूली पत्नि रामखिलाडी
2. देशराज पुत्र रामखिलाडी
3. सीताराम पुत्र रामखिलाडी
4. श्रीचन्द पुत्र रामखिलाडी
5. रामप्रसाद पुत्र रामखिलाडी
6. प्यारेलाल पुत्र रामखिलाडी
7. राजन्ती पुत्री रामखिलाडी
8. पिंकी पुत्री रामखिलाडी

   समस्त जातियान बैरवा निवासीयान जौल तहसील टोडाभीम जिला करौली
9. तहसीलदार टोडाभीम जिला करौली

प्रतिवादीगण

दावा वावत दरूस्ती इन्द्राजात एवं तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट (वादी)

निर्णय दिनांक:– 28.08.19

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम जौल स्थित आराजी ख0न0 836 रकवा 1.82 हैo मे वादी बहिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी न0 1 ता 8 बहिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादी न0 1 ता 8 ने उक्त आराजीयात का मौके पर बहामी बटवारा कर रखा है लेकिन विधिवत बटवारा नही होने से डौल–मेड को लेकर आयेदिन विवाद बना रहता है। वादी ने प्रतिवादी न0 1 से दिनांक 26.02.18 को कहा कि तहसील मे चलकर विधिवत बटवारा करा लेते है। उसके इन्कार करने के कारण दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। जमाबन्दी मे वादी की जाति जाटव दर्ज है जबकि वादी जाति से बैरवा है। जाति जाटव के स्थान पर बैरवा किए जाने की इन्द्राज दुरूस्ती भी फरमाई जावे। दावा वादी व खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की प्राथमिक डिक्री फरमाई जाकर तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम तलब फरमाई जाकर दावा, दावावादी डिक्री किया जावे। तथा प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे–काश्त की भूमि मे व्यवधान नही करने हेतु पाबन्द फरमावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रवि[illegible] किया गया। प्रतिवादी न0 1 व 2, 4 लगायत 9 वावजूद सूचना उपस्थित नही [illegible] इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। तथा वादी [illegible] ने प्रतिवादी [illegible] के विरूद्व किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही चाहने का प्रार्थना पत्र [illegible] किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:52:41 IST
Reason: SelfAttested

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

वादीवकील ने बहस मे कथन किया कि वादी की जाति जाटव के स्थान बैरवा दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे, एवं वादी के हिस्से व कब्जे की आराजीयात का तकास्मा कराने हेतु तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त करने हेतु दावा प्राथमिक डिक्री फरमाया जावे।

यह दावा बाद सुनवाई दिनांक 14.6.2019 को प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमीश्नर नियुक्त किया गया था। तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का वादी वकील ने अवलोकन कर मुताबिक बटवारा स्कीम दावा फाईनल डिक्री करने का कथन किया। वादी वकील की बहस सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया बटवारा स्कीम के अनुसार दावा डिक्री होने योग्य पाता हूँ।

अतः वादी जगन पुत्र घूडया की जाति जाटव के स्थान पर बैरवा दर्ज करने के आदेश दिए जाते है तथा इनको ग्राम जौल की भूमि ख0न0 836 रकवा 0.61 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, देशराज, सीताराम, श्रीचन्द, रामप्रसाद, प्यारेलाल पि0 रामखिलाडी हिस्सा 5/8 राजन्ती, पिंकी पुत्रिया रामखिलाडी, हिस्सा 1/4, फाबूली पत्नि रामखिलाडी हिस्सा 1/8 को ख0न0 1106/836 रकवा 0.61 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की कब्जे काश्त की आराजी मे मजाहमत मदाखलत नही करे। नक्शा ट्रेस सलग्न रहे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.19 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट टोडाभीम (करौली) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2021.02.01 11:52:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner